



पत्र सं०-109

/सेवो0प्रको0/फा0सं0-10/01

दिनांक- 05/07/2017

कार्यालय आदेश

COTPA-2003 (The Cigarettes And Other Tobacco Products Act, 2003) के प्राविधानों से सम्बन्धित आवास आयुक्त के आदेश सं०- 59/आई0एस0ओ0 दिनांक 30.10.2009 एवं 485/त0मु0प0-2013 दिनांक 16.01.2013 द्वारा परिषद के समस्त कार्यालय परिसरों को "तम्बाकू मुक्त परिसर" घोषित किया जा चुका है।

प्रायः देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इन आदेशों का उल्लंघन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ कार्यालयाध्यक्षों के कक्ष में ही उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है।

भविष्य में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध COTPA-2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सभी अनुभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी सहित) को उक्त आदेश नोट कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

(राजेश कुमार पाण्डेय )

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी।
2. निदेशक, ग्लोबल सेल/गु0 नि0 एवं परिकल्पना वृत्त/सी0ई0टी0।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता।
4. संयुक्त आवास आयुक्त।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक/वास्तुविद नियोजक।
6. समस्त उप आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक।
7. आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
8. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी, जनसूचना केन्द्र, मुख्यालय।
10. कार्यालय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाइल।



अपर आवास आयुक्त एवं सचिव